

रिजस्ट्रेशन नम्बर-जी०--11/लाई०-न्यूज पेपर/91/05--06 लाइसेन्स टू पीस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गणट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

HARRICH

विद्यायी परिशिष्ट भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 19 नवम्बर, 2007 कार्तिक 28, 1929 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार विधायी अनुभाय-1

संख्या 2337 / 79-वि-1-07-1 (क)50-2007 लखनऊ, 19 नवम्बर, 2007

अधिसूचना

विविध

संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर विधेयक, 2007 पर दिनांक 16 नवम्बर, 2007 को अनुमित प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 2007 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिनियम द्वारा प्रकाशित किया जाता है :--

उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 2007)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

किसी स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, प्रयोग या विक्रय के लिए माल के प्रवेश पर कर का उद्ग्रहण एवं संग्रहण और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

अध्याय-1 प्रारम्भिक

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम. विस्तार और प्रारम्भ

- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।
- (3) यह 1 नवम्बर, 1999 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

परिमाषाएं

- 2-(1) जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो इस अधिनिएम में :--
 - (क) "व्यापार" के अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं :--
 - (एक) कोई व्यापार, वाणिज्य या निर्माण अथवा व्यापार, वाणिज्य या निर्माण के स्वरूप का कोई प्रोध्यम या संस्थान, चाहे ऐसा व्यापार, वाणिज्य, निर्माण, प्रोधम या संस्थान लान कमाने के उद्देश्य से चलाया जाये या नहीं और चाहे ऐसे व्यापार, वाणिज्य, निर्माण, प्रोधम या संस्थान से कोई लाभ प्रोदभूत हो या नहीं;
 - (दो) किसी प्रयोजन के लिए किसी संकर्म संविदा का निष्पादन या किसी माल का प्रयोग करने के अधिकार का अन्तरण (चाहे किसी विनिर्दिष्ट अविध के लिए हो या नहीं); और
 - (तीन) कोई संव्यवहार जो ऐसे व्यापार, वाणिज्य, निर्माण, प्रोधम या संस्थान या संकर्म संविदा या पट्टे से आनुषंगी हो या उससे सम्बद्ध हो या उससे आनुषंगिक या उसके परिणामस्वरूप हो ;
- (ख) "व्यापारी" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से हैं जो व्यापार के दौरान, चाहें अपने वास्ते या किसी स्वामी या किसी अन्य व्यक्ति के वास्ते, किसी स्थानीय क्षेत्र में कोई माल लाता है या मंगवाता है अथवा किसी स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश करने पर माल का परिदान प्राप्त करता है या परिदान प्राप्त करने का हकदार है और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं.—
 - (एक) कोई रथानीय प्राधिकारी, निगमित निकाय, कम्पनी, कोई सहकारी समिति या अन्य सोसायटी, ग्लब, फर्म, अविभाजित हिन्दू कुटुम्ब या व्यक्तियों का अन्य संघ (एसोसियेशन) जो ऐस। व्यापार करता है;
 - (दो) कोई मध्यवणिक (फैक्टर), दलाल, आढ़ती, कमीशन एजेन्ट, परिशोधी अभिकर्ता (डेल क्रेंडर एजेन्ट) या कोई अन्य वाणिज्यिक अभिकर्ता चाहे वह किसी नाम से पुकारा जाये, जो ऊपर वर्णित प्रकार का हो या न हो और जो किसी प्रकट या अप्रकट मालिक के माल का क्रय, विक्रय, सम्भरण या वितरण करने का व्यापार करता है;
 - (तीन) कोई नीलामकर्ता, जो किसी प्रकट या अप्रकट मालिक के माल का विक्रय या उसे नीलाम करने का व्यापार करता है और चाहे इच्छुक क्रेता का प्रस्ताव उसके द्वारा या मालिक द्वारा या मालिक के नामांकिती (नामिनी) द्वारा स्वीकार किया गया हो;
 - (चार) कोई सरकार जो व्यापार के दौरान या अन्यथा, नकद या बाद में किये जाने वाले भुगतान या कमीशन, पारिश्रमिक या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए प्रत्यक्ष रूप से या अन्य प्रकार से माल का क्रय, विक्रय, सम्भरण या वितरण करती है;
 - (पाँच) प्रत्येक व्यक्ति, जो राज्य के बाहर निवास करने वाले किसी व्यापारी कें अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है और राज्य में माल का क्रय, विक्रय, सम्भरण या वितरण करता है या ऐसे व्यापारी की ओर से निम्नलिखित रूप में कार्य करता है,—
 - (क) माल विक्रय अधिनियम, 1930 में यथा परिभाषित वाणिज्यिक अभिकर्ता : या
 - (ख) माल या माल से सम्बन्धित हक के दस्तावेजों का प्रबन्ध करने के लिए अभिकर्ता; या
 - (ग) माल के विक्रय मूल्य का संग्रह या भुगतान करने के लिए अभिकर्ता या ऐसे संग्रह या भगतान के लिए प्रतिभ :

- (छः) किसी फर्म या कम्पनी या अन्य निग्नित निकाय का मुख्य कार्यालय या मुख्यालय राज्य के बाहर हो और कोई शाखा या कार्यालय राज्य में हो, तो ऐसी शाखा या कार्यालय के माध्यम से माल का क्रय या विक्रय, सम्भरण या वितरण करने के सम्बन्ध में ऐसी फर्म या कम्पनी या अन्य नियमित निकाय;
- (सात) प्रत्येक व्यक्ति जो संकर्ग संविदा के निष्पादन में अन्तर्ग्रस्त माल (चाहे माल के रूप में या किसी अन्य रूप में) सम्पत्ति के अन्तरण का व्यापार करता है;
- (आठ) प्रत्येक व्यक्ति जो नकद, आस्थिगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए किसी माल को किसी भी प्रयोजनार्थ (चाहे किसी विनिर्दिष्ट अविध के लिए हो या न हो) प्रयोग करने के अधिकार के अन्तरण का व्यापार करता है;
- (नौ) कोई व्यक्ति जो, व्यापार की प्रकृति के यदा-कदा संव्यवहार के दौरान, चाहे अपने वास्ते या किसी मालिक या किसी अन्य व्यक्ति के वास्ते, किसी स्थानीय क्षेत्र में कोई माल लाता है या मंगवाता है अथवा किसी स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश करने पर माल का परिदान प्राप्त करता है या परिदान प्राप्त करने के लिए हकदार है;

स्पष्टीकरण :-इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ पद "व्यापार के दौरान" के अन्तर्गत "व्यापार स्थापित होने या उसके प्रारम्भ होने के दौरान" भी है।

- (ग) "माल के प्रवेश" का तात्पर्य, अपने सभी व्याकरणिक रूप-भेदों तथा सजातीय-पद प्रयोगों सहित, माल का;
 - (एक) स्थानीय क्षेत्र में ऐसे क्षेत्र के बाहर किसी स्थान से
 - (दो) स्थानीय क्षेत्र में राज्य के बाहर किसी स्थान से
 - (तीन) स्थानीय क्षेत्र में भारत के प्रादेशिक क्षेत्र के बाहर किसी स्थान से उपभोग, प्रयोग या विक्रय के लिए प्रवेश से है।
 - (घ) "स्थानीय क्षेत्र" का तात्पर्य ;
 - (एक) उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 के अधीन किसी नगर निगम,
 - (दो) उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 के अधीन किसी नगरपालिका:
 - (तीन) उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम, 1961 के अधीन किसी क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत;
 - (चार) संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 के अधीन किसी ग्राम पंचायत:
 - (पाँच) छावनी अधिनियम, 1924 के अधीन किसी छावनी;
 - (छः) उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 के अधीन कोई औद्योगिक विकास क्षेत्र ;
 - (सात) औद्योगिक नगरी जो किसी भी नाम से जानी जाय;
 - (आठ) संसद या राज्य विधान मण्डल के किसी अधिनियम के अधीन कोई अन्य स्थानीय प्राधिकरण, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये,

के अधीन आने वाले क्षेत्र से है ;

- (ङ) "अनुसूची" का तात्पर्य इस अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची से है;
- (च) "अनुसूचित माल" का तात्पर्य इस अधिनियम की अनुसूची में उंल्लिखित माल से हैं:
 - (छ:) "कर" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय कर से है;

(ज) "माल के मूल्य" का तात्पर्य मूल क्रय बीजक या बिल से यथा अभिनिश्चित किसी माल के मूल्य से है और उसके अन्तर्गत पैकिंग सामग्री का मूल्य, पैकिंग और प्रेषण प्रभार, बीमा प्रभार, उत्पाद-शुल्क, प्रतिशुल्क, सीमा शुल्क और तत्समान अन्य शुल्क के रूप में धनरशियाँ, प्रभारित की गयी किसी फीस या कर की धनराशि, परिवहन प्रभार, माल भाड़ा प्रभार और किसी अन्य प्रभार की धनराशियाँ भी है, जो ऐसे माल के ऐसे स्थानीय क्षेत्र में क्रय या परिवहन से सम्बन्धित हों, जिसमें माल को उपभोग, प्रयोग या विक्रय के लिए लाया या प्राप्त किया जा रहा हो:

प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ कोई माल:

- (एक) क्रय किया गया हो और किसी दस्तावेज के उपलब्ध न होने या प्रस्तुत न किये जाने के कारण उसका मूल्य अभिनिश्चय न हो; या
- (दो) क्रय किया गया हो और किसी दस्तावेज के उपलब्ध न होने या प्रस्तुत न किये जाने के कारण व्यापारी या प्रभारी व्यक्ति द्वारा घोषित मूल्य सत्यापनीय न हो: या
- (तीन) क्रय किया गया हो और क्रय-मूल्य या परिवहन प्रभारों और अन्य प्रभारों के समर्थन में प्रस्तुत किया गया कोई दस्तावेज विश्वासयोग्य न हो; या
 - (चार) क्रय से भिन्न प्रकार से अर्जित या प्राप्त किया गया हो;

वहाँ 'माल के मूल्य' का तात्पर्य ऐसे मूल्य या कीमत से होगा जिस पर उसी प्रकार के या उसी गुणवत्ता के माल उस रधानीय क्षेत्र में, जिसमें माल उपभोग, प्रयोग या विक्रय के लिए या प्राप्त किये जा रहे हों, खुले बाजार में थोक मूल्य पर विक्रय किये जाते हों या विक्रय किये जाने योग्य हों।

स्पष्टीकरण—इस खण्ड के अधीन किसी माल के थोक मूल्य को अभिनिश्चित किये जाने के प्रयोजन के लिए थोक मूल्य के अन्तर्गत क्रेता द्वारा उत्पाद-शुल्क या किसी अन्य शुल्क के रूप में भुगतान की गयी या देय कोई धनराशि भी होगी, किन्तु उसके अन्तर्गत स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश के पश्चात माल के सम्बन्ध में किये गये किसी कार्य के निमित्त ली गयी कोई धनराशि या उसी प्रकार के या उसी गुणवत्ता के माल के विक्रय के सम्बन्ध में देय फीस या कर की, जिसके अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन देय कर भी हैं, कोई धनराशि नहीं होगी।

- (झ) "निधि" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से है।
- (2) इस अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 था उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों में उनके लिये समनुदेशित है।
 - 3-(1) इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए :-

अधिनियम के अधीन प्राधिकारीगण

- (क) व्यापार कर विभाग के किमश्नर, विशेष किमश्नर व्यापार कर, एडीशनल किमश्नर व्यापार कर और ज्वाइन्ट किमश्नर व्यापार कर, क्रमशः किमश्नर, स्पेशल किमश्नर, एडीशनल किमश्नर और ज्वाइन्ट किमश्नर होंगे तथा वे क्रमशः किमश्नर प्रवेश कर, स्पेशल किमश्नर प्रवेश कर, एडीशनल किमश्नर प्रवेश कर और ज्वाइन्ट किमश्नर प्रवेश कर के रूप में पदािमिहत किये जायेंगे।
- (ख) उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त "अपीलीय प्राधिकारी" और अध्यक्ष तथा सदस्य, अधिकरण क्रमशः "अपीलीय प्राधिकारी" और अध्यक्ष तथा सदस्य, अधिकरण के रूप में कार्य करेंगे।
- (ग) व्यापार कर विभाग में तैनात सभी डिप्टी कमिश्नर एवं आसेस्टेन्ट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर प्रवेश कर एवं असिस्टेन्ट कमिश्नर प्रवेश कर होंगे और उसी प्रकार व्यापार कर विभाग में तैनात सभी व्यापार कर अधिकारी प्रवेश कर अधिकारी होंगे।

- (घ) राज्य सरकार या कमिश्नर व्यापार कर द्वारा व्यापार कर सर्किल में तैनात व्यापार कर अधिकारी से अनिम्न स्तर का कोई अधिकारी, उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट. 1948 की धारा 13 एवं धारा 13-क के अधीन शक्ति का प्रयोग करने के लिए राज्य सरकार अथवा किमश्नर व्यापार कर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी और उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 की धारा 28 के अधीन स्थापित किसी जाँच चौकी पर तैनात व्यापार कर अधिकारी से अनिग्न स्तर के अधिकारी इस अधिनियम के अधीन कर निर्धारक अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करेंगे।
- (ङ) अध्यक्ष और सदस्य, अधिकरण के सिवाय इस अधिनियम के अधीन समस्त अधिकारी या प्राधिकारी कमिश्नर के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन कार्य करेंगे और किमश्नर अपीलीय अधिकारी के सिवाय अपने प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन किसी भी अधिकारी में निहित शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सक्षम होगा।
- (2) इस अधिनियम के अधीन प्राधिकारियों की क्षेत्रीय अधिकारिता वही होगी जो उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन से राज्य सरकार अथवा कमिश्नर व्यापार कर द्वारा नियत या अवधारित की जाय।
- 4-(1) राज्य में व्यापार, वाणिज्य तथा उद्योग के विकास के प्रयोजनार्थ किसी स्थानीय कर उद्ग्रहण क्षेत्र में उस स्थानीय क्षेत्र के वाहर किसी स्थान से अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी माल के उसी क्षेत्र में उपभोग, उपयोग अथवा विक्रय के लिये प्रवेश पर माल के मूल्य के 5 प्रतिशत से अनिधक ऐसी दर पर कर का उद्ग्रहण और संग्रहण किया जायेगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे और भिन्न-भिन्न माल या माल की भिन्न-भिन्न श्रेणियों के संबंध में भिन्न-भिन्न दरें विनिर्दिष्ट की जा सकती हैं :

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा अनुसूची को संशोधित कर सकेगी और ऐसी अधिसूचना के जारी होने पर अनुसूची को उपधारा (10) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए तदनुसार संशोधित समझा जायेगा।

- (2) उपधारा (1) के अधीन कर का उदग्रहण किया जाना तब तक जारी रखा जायेगा जब तक राज्य में व्यापार, वाणिज्य और उद्योग हेतु बेहतर व्यवसायिक स्थिति की सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से राज्य में आधारभूत संरचना यथा बिजली, सड़क एवं बाजार की स्थिति आदि के स्धार हेत् अपेक्षित हो।
- (3) उपधारा (1) के अधीन उद्ग्रहीत कर ऐसे व्यापारी द्वारा, जो ऐसे माल को चाहे अपने वास्ते या अपने मार्लिक के वास्ते स्थानीय क्षेत्र में लाता है या मंगवाता है या स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर ऐसे माल का परिदान प्राप्त करे या परिदान प्राप्त करने का हकदार हो, देय होगा:

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उत्पादन, पारेषण और वितरण में लगी हुई किसी ऐसी ऊर्जा परियोजना औद्योगिक इकाई को, जिसका कुल पूँजी निवेश एक हजार करोड़ रुपये या उससे अधिक हो, किसी स्थानीय क्षेत्र के बाहर के किसी स्थान से उस स्थानीय क्षेत्र में ऐसे माल के प्रवेश पर जिसका उपयोग या उपभोग उक्त इकाई द्वारा किया जाये, किसी व्यापारी द्वारा संदेय कर के दायित्व के दायी होने की अनुमति, अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शंतों के अधीन रहते हुए, दे सकती है।

स्पष्टीकरण-जहाँ व्यापारी से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा, किसी स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर माल का परिदान प्राप्त किया जाता है या माल किसी स्थानीय क्षेत्र में लाया जाता है, तो यह समझा जायेगा कि व्यापारी, जिसने ऐसे व्यक्ति से माल का परिदान प्राप्त किया है, द्वारा ही माल स्थानीय क्षेत्र में लाया गया है या मंगवाया गया है।

(4) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो ऐसी अधिसूचना में अधिसूचित की जायें, कर के धनराशि को ऐसी सीमा तक माफ कर सकती है जो यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो किसी ऊर्जा परियोजना औद्योगिक इकाई में उपभोग या उपयोग के लिए किसी स्थानीय क्षेत्र के बाहर के किसी स्थान से उक्त स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर की प्रभावी दरें राज्य ऊर्जा नीति के प्रारम्भ होने के दिनांक को लागू सम्बन्धित दरों से अधिक न हों।

(5) कोई व्यापारी, जो किसी स्थानीय क्षेत्र में कोई माल लाता है या मंगवाता है, कर की देनदार न होगा, यदि कर निर्धारण वर्ष के दौरान ऐसे माल का कुल मूल्य निर्माता की दशा है। 2 लाख रुपये और अन्य व्यापारी की दशा में 3 लाख रुपये या ऐसी अधिक धनराशि, जिस्नी राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा या तो उसी माल के सभी व्यापारियों के सम्बन्ध में या किसी विशेष वर्ग के व्यापारियों के सम्बन्ध में इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, से कम हो :

श्रीतेबन्ध यह है कि इस उपधारा के उपबन्ध उत्तर प्रदेश के बाहर से किसी स्थानीय क्षेत्र ने प्रयोगाल के मूल्य के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे।

(6) उपधारा (1) या उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसे व्यापारी से जी किसी स्थानीय क्षेत्र में कोई ऐसा माल लाता है या मंगवाता है जो उस क्षेत्र से बाहर ले जाने के उददेश्य से स्थानीय क्षेत्र में ही उसके द्वारा वेच दिया जाता है और वास्तव में माल बाहर चल्ला जाता है, कोई कर उदयहीत और संग्रहीत नहीं किया जायेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि जहां किसी. माल के स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश के समय. उस माल का मूल्य या मात्रा अभिनिश्चय न हो जिसे उपभोग, उपयोग या विक्री किये बिना माल को उस् स्थानीय क्षेत्र से बाहर ले जाने के उद्देश्य से लाया गया हो, व्यापारी माल की कुल मात्रा के मूल्य पर कर की धनराशि का भुगतान करेगा और स्थानीय क्षेत्र में माल को स्थानीय क्षेत्र के बाहर ले जाने के उद्देश्य से बेचा गया हो और माल वास्तव में बाहर चला गया हो, तो इस अधिनियम की धारा 5 में उपबंधित रीति से व्यापारी ऐसे माल के संबंध में कर के रूप में संदत्त धनराशि की वापसी का दावा कर सकता है:

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि इस तथ्य को सिद्ध करने का दायित्व माल को बेचने वाले व्यापारी पर होगा कोई माल किसी स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश के बाद उपभोग, उपयोग या बिक्री के लिये उस क्षेत्र के बाहर ले जाने के उद्देश्य से बेचे गये थे और वास्तव में उक्त माल उस स्थानीय क्षेत्र के बाहर ले जाये गये थे।

(7) जहां माल का पारेषण आंशिक रूप से किसी स्थानीय क्षेत्र में ही उपभोग, उपयोग या बिक्री के लिए और आंशिक रूप से उस स्थानीय क्षेत्र के बाहर किसी स्थान पर अन्तरित करने के लिए, किसी व्यापारी द्वारा ऐसे स्थानीय क्षेत्र में लाया जाता है अथवा प्राप्त किया जाता है और जहाँ उपभोग, उपयोग या बिक्री किये जाने के लिए माल का मूल्य अभिनिश्चय न हो, वहां व्यापारी परेषण के सभी माल के मूल्य पर कर का भुगतान करेगा और यथापूर्वोक्त किसी माल को बाहर अन्तरित कर दिये जाने के बाद इस प्रकार अन्तरित किये गये माल के सम्बन्ध में कर के रूप में संदत्त धनराशि की वापसी का दावा इस अधिनियम की धारा 5 में उपबंधित रीति से कर सकता है:

प्रतिबन्ध यह है कि इस तथ्य को सिद्ध करने का दायित्व कर वापसी का दावा करने वाले व्यापारी पर होगा कि किसी माल के स्थानीय क्षेत्र में लाने या प्राप्त किये जाने के बाद उसे उस स्थानीय क्षेत्र के बाहर उपभोग, उपयोग या विक्री के बिना अन्तरित कर दिया गया है।

- (8) जहाँ किसी स्थानीय क्षेत्र में किसी माल के प्रवेश के सम्बन्ध में कर संदेय है और किसी अभिकर्ता द्वारा इसका भुगतान कर दिया गया है, वहां मालिक कर संदेय का दायी नहीं होगा और इसी प्रकार जहां किसी माल के प्रवेश के सम्बन्ध में कर संदेय है और मालिक के द्वारा इस प्रकार भुगतान कर दिया गया है वहां अभिकर्ता कर संदेय का दायी नहीं होगा।
 - (9) जहाँ
 - (एक) क्रय किये गये किसी अनुसूचित माल के सम्बन्ध में-
 - (क) ऐसे माल का मूल्य अभिनिश्चय-न हो या यथास्थिति व्यापारी अथवा माल के प्रभारी व्यक्ति, के द्वारा यथा घोषित ऐसे माल का मूल्य, किसी दस्तावेज के उपलब्ध न होने के कारण अथवा प्रस्तुत न करने के कारण, सत्यापन योग्य न हो; या
 - (ख) क्रय मूल्य के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज या परिवहन प्रभार और अन्य प्रभार विश्वंसनीय न हों ; या

(दो) क्रय से भिन्न प्रकार से अजित अथवा प्राप्त किये गये अनुसूचित माल का मूल्य, जो यथास्थिति, माल के प्रभारी व्यक्ति या व्यापारी द्वारा घोषित किया गया हो, युक्तियुक्त पूर्वक प्रतीत या विश्वसनीय न हो,

तब जिस स्थानीय क्षेत्र में माल लाया जा रहा है उस स्थानीय क्षेत्र में खुले बाजार का कर निर्धारण अधिकारी द्वारा युक्तियुक्त पूर्वक अवधारित थोक मूल्य, यथारिथित माल के प्रभारी व्यक्ति अथवा व्यापारी, को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये जाने के पश्चात माल का मूल्य समझा जायेगा और इस प्रयोजन के लिए खण्ड (1) के संदर्भ में कर निर्धारण अधिकारी यह अवधारित करेगा कि माल क्रय से भिन्न प्रकार से अर्जित अथवा प्राप्त किया गया है।

- (10) इस धारा के अधीन जारी की गयी प्रत्येक अधिसूचना, जारी किये जाने के पश्चात् यथाशीच राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हों, उसके एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में से जो कम से कम कुल चौदह दिन की अवधि तक चले, रखी जायेगी और जब तक कि कोई बाद की तिथि निर्धारित न की जाये, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे उपान्तरणों या अधिशून्यनों के अधीन रहते हुए जिन्हें विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिए सहमत हों, प्रभावी होगी, तथापि इस प्रकार का कोई उपान्तरण परिष्कार या अधिशून्यन से सम्बद्ध इसके अधीन पहले की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर इसके सिवाय प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, कि कर या शास्ति का किसी प्रकार का अधिरोपण, निर्धारण उदग्रहण या संग्रहण उक्त उपान्तरण या अधिशून्यन के अध्यधीन होगा।
- 5--(1) जहां किसी स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, उपयोग या बिक्री के लिए कोई व्यापारी द्यारा 4 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित माल लाया हो या मंगवाया हो या परिदान प्राप्त किया हो और ऐसे स्थानीय क्षेत्र में ऐसे माल के प्रवेश के सम्बन्ध में कर का भुगतान किया गया हो वहाँ ऐसा कर उद्ग्रहण वापस हुआ माना जाएगा और उपधारा (3) के अधीन रहते हुए कर के रूप में व्यापारी द्वारा सदत्त धनराशि ऐसे व्यापारी को निम्नलिखित परिस्थितियों में वापस कर दिया जायेगा:-
 - (क) जहाँ क्रय किये गये माल ऐसे स्थानीय क्षेत्र में उपयोग किये विना क्रय की तिथि से छः माह की अवधि के अन्दर विक्रेता व्यापारी को वापस कर दिये गये हों;
 - (ख) जहाँ माल ऐसे स्थानीय क्षेत्र में उपयोग किये बिना राज्य के बाहर किसी स्थान पर परेषित किये गये हों;
 - (ग) जहाँ माल ऐसे स्थानीय क्षेत्र में उपयोग किये बिना किसी अन्य स्थानीय क्षेत्र के किसी स्थान पर उपभोग, उपयोग एवं विक्री के लिए परेषित किये गये हों;
 - (घ) जहाँ माल का पुनर्विक्रय अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के प्रक्रम में या भारत के राज्यक्षेत्र के बाहर निर्यात के प्रक्रम में किया गया हो,
 - (ङ) जहाँ कोई अनुसूचित माल ऐसे स्थानीय क्षेत्र से बाहर ले जाने के लिये वेचे गये हों और वास्तव में बाहर ले जाये गये हों।

स्पष्टीकरण:—केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम, 1956 की धारा 3 एवं 5 यह अवधारित करने के प्रयोजनार्थ लागू होंगे कि अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान व्यापारी द्वारा कोई माल बेचा गया है अथवा नहीं और भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर माल के निर्यात के दौरान माल की बिक्री की गयी है अथवा नहीं।

- (2) जहाँ किसी व्यापारी ने किसी स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश करने के सम्बन्ध में कर का भुगतान कर दिया हो किन्तु स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश के पूर्व माल नष्ट हो गया हो, तो वहां कर के रूप में भुगतान की गई ऐसी धनराशि, उपधारा (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, व्यापारी को वापस कर दी जायेगी।
- (3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुसार व्यापारी को वापसी योग्य पायी गयी धनराशि पहले व्यापारी के विरुद्ध बकाया धनराशि से समायोजित की जायेगी और अवशेष धनराशि, यदि कोई हो, व्यापारी को वापस की जायेगी :

प्रतिबन्ध यह कि जहाँ माल के किसी स्थानीय क्षेत्र में उपयोग या बिक्री के बिना किसी अन्य स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, उपयोग या बिक्री के लिए स्वयं को प्राप्त करने के लिए भेजा गया हो, वापसी योग्य पायी गयी धनराशि ऐसे माल के ऐसे स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश के सम्बन्ध में देय कर की धनराशि के विरुद्ध समायोजित की जायेगी।

कर उद्ग्रहण की वापसी घूट

6-जहाँ धारा 4 की उपधारा (1) के अन्तर्गत विज्ञापित अनुसूचित माल के क्रिं क्र अन्तर्गत एसे नाल की किसी रिजस्ट्रीकृत व्यापार कर ऐक्ट, 1948 के अन्तर्गत ऐसे नाल की किसी रिजस्ट्रीकृत व्यापार कर ऐक्ट के अन्तर्गत कर देय हो, और किसी स्थानीय क्षेत्र के स्थानीय क्षेत्र के स्थानीय क्षेत्र के स्थानीय क्षेत्र के सुगतान का दायित्व हो, राज्य सरकार, विज्ञप्ति के द्वारा- और ऐसी शर्ती एवं प्रतिबन्धों के अधीन जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाय, इस अधिनियम के हिंतरिंग्र उद्ग्रहणीय कर की सम्पूर्ण धनराशि की सीमा तक छूट अनुमन्य कर सकती है।

करमुक्ति

7-जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि लोकहित में ऐसा करना स्मानितित है तो वह, अधिसूचना द्वारा ऐसी शर्तों और निर्वन्धनों के अधीन रहते हुए जैसी क्षारित्य के प्रिविनिर्दिष्ट की जाये, किसी माल या माल के वर्ग पर कर के उद्ग्रहण से या व्यापारियों देन पर्श को कर के भुगतान से छूट प्रदान कर सकती है।

रजिस्ट्रीकरण

8—(1) उपधारा ? के प्रावधानों के अधीन रहते हुए प्रत्येक व्यापारी जो कर के लिए दायी है, इस अधिनियम के अन्तर्गत जब से कर का दायी हो जाता है उस तिथि से तीस दिन के अन्दर रिजस्ट्रीकरण शुल्क के जमा किये जाने के साक्ष्य के साथ निर्धारित रीति से रिजस्ट्रीकर पंजीयन प्रमाण-पत्र जारी किये जाने हेतु कर निर्धारण प्राधिकारी को प्रार्थना-पत्र देगा :

प्रतिबन्ध यह है कि कोई व्यापारी जो उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 के प्रामिक के अन्तर्गत स्वीकृत रिजस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र का धारक है, यदि उपरोक्त समय के अन्तर्र प्रार्थना-पत्र के निर्धारित प्रारूप में वांछित सूचना प्रस्तुत कर देता है तो इस अधिनियम के अन्त अलग से पंजीयन प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी और इस अधिनियम के अन्तर्भ प्रयोजनों के लिए ऐसा व्यापारी पंजीकृत व्यापारी समझा जायेगा:

अग्रतर प्रतिवन्ध है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी सरकार को रिजस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी यदि ऐसा सरकारी विभाग नियमित व्यापार में संलिप्त नहीं है।

- (2) जहाँ किसी व्यापारी का उत्तर प्रदेश राज्य के अन्दर व्यापार का निश्चित स्थान नहीं है, उसे इस अधिनियम के अन्तर्गत रिजस्ट्रीकरण प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- (3) इस अधिनियम के अन्तर्गत रिजस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट. 1948 की धारा 8-क की उपधारा (1-क), (1-ख), (1-ग), (1-घ), 2, 3 एवं 4 के प्राविधान यथा आवश्यक परिवर्तनों सिहत लागू होंगे जैसे उस ऐक्ट के अन्तर्गत रिजस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए लागू हैं।

विवरण पत्रों को प्ररतुत करना और कर निर्धारण 9—(1) प्रत्येक व्यापारी, जिसे इस अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने की आवश्यकता हो, अपने कर निर्धारण प्राधिकारी को विवरण पत्रों में दिखायी गयी देय कर की धनराशि के जमा होने के साक्ष्य के साथ अनुसूचित माल के मूल्य का विवरण पत्र ऐसी रीति से, ऐसे कर अवधि और ऐसे समय के अन्दर प्रस्तृत करेगा जैसा विहित किया जाय

प्रतिबन्ध यह है कि व्यापारी के प्रार्थना-पत्र पर कर निर्धारण प्राधिकारी, पर्याप्त कारण के होने पर, निर्धारित समय के बाद विवरण पत्र प्रस्तुत करने की अनुभति प्रदान कर सकेगा।

(2) धारा 8 की उपधारा (2) में अभिदिष्ट व्यापारी के अलावा कर का देनदार प्रत्येक व्यापारी स्वतः निर्धारित कर का वार्षिक विवरण पत्र प्रत्येक कर निर्धारण वर्ष के लिए अपने कर निर्धारण प्राधिकारी के समक्ष ऐसे रीति एवं ऐसे समय के अन्दर प्रस्तुत करेगा जैसा विहित किया जायः

प्रतिबन्ध यह है कि व्यापारी के प्रार्थना-पत्र पर कर निर्धारण अधिकारी, पर्याप्त कारण के होने पर, नब्बे दिन की अवधि तक विवरण प्रस्तुत करने का समय बढ़ा सकेगा।

(3) जहाँ--

- (क) किसी व्यापारी ने उपधारा (1) में अभिदिष्ट सभी कर अवधियों के विवरण पत्र और उपधारा (2) में अभिदिष्ट स्वतः निर्धारित कर का विवरण पत्र प्रस्तुत कर दिया है;
- (ख) प्रथमदृष्टया विश्वास करने का कोई कारण न हो कि व्यापारी ने अनुसूचित माल के मूल्य को छिपाया है या अन्यथा कर के भुगतान से अपवंचन किया है; और
- (ग) व्यापारी ने न तो किसी अनुसूचित माल के सम्बन्ध में जमा की गयी किसी धनराशि की वापसी का दावा किया हो, न ही धारा 5 के अन्तर्गत कर की धनराशि के प्रतिफल का दावा किया हो, कर निर्धारण प्राधिकारी, व्यापारी की उपस्थिति की अपेक्षा किये बिना, स्वतः निर्धारित कर के विवरण पत्र को स्वीकार कर लेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ कर निर्धारण प्राधिकारी का विचार हो कि,-

- (एक) देय कर की दर पर विवरण पत्रों में दिये दिखाये गये कर की गणना नहीं की गयी है; या
 - (दो) कर संगणना में गणितीय त्रुटि है; या
- (तीन) किसी प्रमाण-पत्र या किसी विहित प्रमाण-पत्र या घोषणा-पत्र के आधार पर किसी प्रकार की छूट अथवा रियायत का दावा किया गया है किन्तु ऐसा प्रमाण-पत्र या घोषणा-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है,

वहाँ वह व्यापारी को स्वतः कर निर्धारण का संशोधित वार्षिक विवरण पत्र नोटिस की तामीली के पन्द्रह दिन के अन्दर प्रस्तुतं करने के लिए नोटिस जारी करेगा और यदि कर निर्धारण प्राधिकारी स्वतः कर निर्धारण के संशोधित विवरण पत्र से संतुष्ट है तो वह स्वतः कर निर्धारण का संशोधित विवरण पत्र स्वीकार करेगा।

(4) जिस व्यापारी के सम्बन्ध में उपधारा (3) के अन्तर्गत कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा स्वतः कर निर्धारण स्वीकार किया जाना है, उससे भिन्न व्यापारी के मामले में कर निर्धारण प्राधिकारी, ऐसी जाँच करने के पश्चात, जैसा वह उचित समझे, और व्यापारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात, किसी स्थानीय क्षेत्र में उपयोग, उपभोग एवं बिक्री के लिए लाये गये अथवा मंगवाये गये अनुसूचित माल के मूल्य को निर्धारित करेगा और व्यापारी द्वारा देय कर की धनराशि निर्धारित करेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि कर निर्धारण प्राधिकारी को अनुसूचित माल के मूल्य और व्यापारी के द्वारा देय कर के निर्धारण को अपनी सर्वोत्तम विवेकबुद्धि से अवधारित करने से वहाँ कोई रोक नहीं होगी जहाँ—

- (क) अनुसूचित माल के सम्बन्ध में व्यापारी द्वारा लेखा बही नहीं रखी गयी हैं; या
- (ख) अनुसूचित माल के सम्बन्ध में व्यापारी द्वारा रखे गये लेखे एवं दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं; या
- (ग) व्यापारी द्वारा प्रस्तुत किये गये लेखे एवं दस्तावेज कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा विश्वसनीय नहीं पाये जाते हैं; या
- ्र (घ) व्यापारी द्वारा प्रस्तुत किये गये लेखे एवं दस्तावेजों से स्थानीय क्षेत्र में लाये गये अथवा मंगवाये गये अनुसूचित माल का मूल्य सत्यापित नहीं पाये जाते हैं।

अनन्तिम कर निर्घारण

- 10—(1) जहाँ कोई व्यापारी, जिस पर धारा 9 की उपधारा (1) लागू होता है, किसी स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर देय कर और अनुसूचित माल के मूल्य का विवरण पत्र उस धारा में निर्धारित या बढ़ाई गयी समयावधि के अन्दर प्रस्तुत करने में असफल रहता है या विवरण पत्र में दिखाई गयी देय कर के जमा का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करता है, या दाखिल विवरण पत्र, कर निर्धारण प्राधिकारी के विचार से, त्रुटिपूर्ण या अपूर्ण हो या उसमें गलत विवरण दिये गये हों, तो कर निर्धारण प्राधिकारी, धारा 9 के प्राविधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किन्तु व्यापारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात, अनुसूचित माल के मूल्य और उस पर देय कर का अनन्तिम कर निर्धारण कर सकेगा।
- (2) जहाँ उपधारा (1) के अन्तर्गत कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अनन्तिम कर निर्धारण किया जा चुका है, इस कर निर्धारण के कारण पूरे वर्ष के लिए अनुसूचित माल के मूल्य का अवधारण करने और कर का निर्धारण करने से रोक नहीं होगी।

कर का प्रशमन

- 11—जहाँ किसी अनुसूचित माल के सम्बन्ध में व्यापारी इस अधिनियम के अन्तर्गत कर के भुगतान का देनदार है किन्तु उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 की धारा 2 के खण्ड (ग) के अन्तर्गत, यथा परिभाषित व्यापारी की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आता है, वहां वह इस धारा के अन्य उपबन्धों के अधीन किसी स्थानीय क्षेत्र में ऐसे माल को लाने या प्राप्त करने या परिदान प्राप्त करने के पूर्व ऐसे अनुसूचित माल के अनुमानित मूल्य पर कर के भूगतान का विकल्प अपना सकता है।
- (2) उत्तर प्रदेश राज्य के अन्दर व्यापार का निश्चित स्थान न रखने वाला प्रत्येक व्यापारी, इस धारा के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी स्थानीय क्षेत्र में ऐसे माल को लाने, प्राप्त करने या परिदान प्राप्त करने के पूर्व ऐसे अनुसूचित माल के अनुमानित मूल्य पर अनुसूचित माल के सम्बन्ध में कर का भुगतान करेगा।
- (3) प्रत्येक व्यक्ति या व्यापारी, जो उपधारा (1) या उपधारा (2) के अन्तर्गत नहीं आता है, और जो इस अधिनियम के अधीन कर भुगतान करने का दायी है, किसी स्थानीय क्षेत्र में ऐसे माल को लाने या प्राप्त करने या परिदान प्राप्त करने के पूर्व ऐसे अनुसूचित माल के अनुमानित मूल्य पर कर के भुगतान का विकल्प अपना सकता है।
- (4) उपधारा (1), (2) और (3) में अभिदिष्ट कोई व्यापारी या व्यक्ति, जैसी भी स्थिति हो, एक बार इस धारा के अन्तर्गत किसी कर निर्धारण वर्ष के लिए कर के भुगतान का विकल्प अपना लेता है तो उसे उस कर निर्धारण वर्ष के किसी अविध के लिए किसी अन्य रीति से कर के भुगतान के विकल्प को बदलने का अधिकार नहीं होगा।
- (5) कोई व्यापारी, जो इस धारा के उपबन्धों के अन्तर्गत कर भुगतान करता है. धारा 9 में अभिदिष्ट विवरण पत्र प्रस्तुत करने का दायी नहीं होगा।
- (6) इस धारा के अन्तर्गत जहाँ किसी माल के सम्बन्ध में कर भुगतान कर दिया गया है, धारा 9 के अन्तर्गत ऐसे माल के सम्बन्ध में कर निर्धारण नहीं किया जायेगा।
- (7) धारा 4 की उपधारा (9) के उपबन्ध उन सभी माल पर लागू होंगे जिनके स्थानीय क्षेत्र के प्रवेश के सम्बन्ध में इस धारा के अन्तर्गत कर का भुगतान किया जाना है।

विनिर्माता के माध्यम से कर की वसूली 12—(1) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों में किसी अन्य बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट ऐसे माल को जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय, राज्य के भीतर किसी विनिर्माता से किसी स्थानीय क्षेत्र में लाने का इरादा रखता हो, वह विनिर्माता से माल का परिदान प्राप्त करते समय स्थानीय क्षेत्र में ऐसे माल के प्रवेश पर देय कर का भुगतान विनिर्माता को करेगा और विनिर्माता इस प्रकार भुगतान किये गये कर को प्राप्त करेगा। क्रेता द्वारा इस प्रकार के कर का भुगतान किये बिना विनिर्माता ऐसा माल क्रेता को नहीं देगा।

- (2) उपधारा (1) के अधीन कर प्राप्त करने वाला विनिर्माता कर निर्धारण प्राधिकारी को उपधारा (1) के अधीन स्वयं द्वारा प्रदाय किये गये माल और प्राप्त किये गये कर के सम्बन्ध में विवरण प्रस्तुत करेगा और इस प्रकार प्राप्त किये गये कर को यथा विहित रीति और समय के भीतर जमा करेगा!
- (3) जहाँ कोई भी विनिर्माता इस धारा के अधीन कर को जमा करने में असफल रहता है, वहाँ वह कर का भुगतान उस पर देय ब्याज और शास्ति, यदि कोई हो, सहित करने का दायी होगा, जिसे भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जायेगा।
- (4) जहाँ कर निर्धारण प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि उपधारा (1) में अभिदिष्ट कोई माल विनिर्माता द्वारा प्रदाय के पश्चात और स्थानीय क्षेत्र में उसके प्रवेश के पूर्व खो गया है या नष्ट हो गया है वहाँ वह यह निदेश दे सकेगा कि ऐसे माल के सम्बन्ध में भुगतान किया गया कर उस व्यक्ति को जिसने उपधारा (1) के अधीन कर भुगतान किया है, वापस कर दिया जायेगाः

प्रतिबन्ध यह है कि माल के खो जाने या नष्ट हो जाने की तिथि से छः माह की समाप्ति के पश्चात् ऐसी वापसी के लिए किसी दावे पर विचार नहीं किया जायेगा।

(5) उत्तरं प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 की घारा 8-घ के अन्तर्गत कर की धनराशिं की कटौती के सम्बन्ध में अर्थदण्ड आरोपित किये जाने विषयक उपबन्ध और उक्त अधिनियम की घारा 8 की उपधारा (1) के अन्तर्गत ब्याज की अदायगी से सम्बन्धित उपबन्ध यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित इस धारा के अन्तर्गत विनिर्माता द्वारा क्रेता से कर की धनराशि की वसूली पर लागू होंगे।

13—उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 के निम्नलिखित उपबन्ध यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित इस अधिनियम के व्यापारियों और कार्यवाहियों पर लागू होंगे :—

उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 के कतिपय उपबन्धों का लागू होना

- (एक) धारा 3-ग-विघटित फर्म आदि पर कर का दायित्व;
- (दो) धारा 4-ग—तैयार माल का भारत के बाहर निर्यात करने वाले निर्माताओं को विशेष राहत, भ
 - (तीन) धारा 6 अधिकारिता के प्रति आपत्ति;
- (चार) धारा 7-ख-कर निर्धारण वर्ष के दौरान कर की दर परिवर्तित हो जाने पर कर निर्धारण;
- (पांच) धारा 7-ग-मृत व्यक्ति द्वारा देय कर का भुगतान उसके प्रतिनिधियों द्वारा किया जाना;
 - (छः) धारा 7-ड-विक्रय धन, कर आदि को पूर्णांकित करना;
 - (सात) धारा 7-च-अल्प धनराशि की वसूली या वापसी को छोड़ दिया जाना;
 - (आठ) धारा 8-कर का भुगतान और उसकी वसूली;
 - (नौ) धारा 8-ख-कतिपय मामलों में अनन्तिम रजिस्ट्रीकरण;
- (दस) धारा 8-खख-व्यापार के परिवर्तन के सम्बन्ध में प्रस्तुत की जाने वाली सूचना;

(ग्यारह) धारा 8-ग-राजस्व की हित में प्रतिभूति;

(बारह) धारा 9-अपील;

(तेरह) घारां 10-अधिकरण;

(चौदह) घारा 10क—आज्ञा जिसके विरुद्ध कोई अपील या पुनरीक्षण नहीं किया जायेगा:

(पन्द्रह) धारा 10ख-किमश्नर द्वारा पुनरीक्षण;

(सोलह) धारा 11-विशेष मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण;

(सत्रह) धारा 12-व्यापारियों द्वारा लेखा का रखा जाना;

(अठ्ठारह) धारा 12क-तथ्य को सिद्ध करने का वायित्व:

(उन्नीस) धारा 12ख-अपील में अतिरिक्त साक्ष्य;

(बीस) धारा 13—लेखों को प्रस्तुत करने की आज्ञा देने का अधिकार तथा प्रवेश और निरीक्षण का अधिकार:

(इक्कीस) धारा 13क-अभिग्रहण करने का अधिकार;

(बाइस) धारा 13ख-पुलिस आदि से सहायता लेने की शक्ति

(तेइस) धारा 14-अपराध और दण्ड;

(चौबीस) धारा 14क-कम्पनियों द्वारा अपराघ;

(पच्चीस) धारा 15 अपराधों का प्रशमन;

(छब्बीस) धारा 15-क कतिपय दशाओं में अर्थदण्ड;

(सत्ताइस) घारा 16 हानि रक्षा;

(अठ्ठाइस) धारा 17 कतिपय कार्यवाहियों पर रोक;

(उन्तीस) धारा 18 पुनर्गठित अथवा नई फर्मों पर कर निर्धारण तथा साझा का बदला जाना;

. (तीस) धारा 19 अल्पव्यस्कों तथा असमर्थ व्यक्तियों पर कर निर्धारण;

(इकत्तीस) धारा 20 प्रतिपालक न्यायालय आदि का कर निर्धारण;

(बत्तीस) धारा 21 उस विक्रय धन पर कर निर्धारित करना जिस पर वर्ष के भीतर कर निर्धारित न किया गया हो;

(तैंतीस) धारा 22 भूल का सुधार;

(चौंतीस) धारा 23 कुछ सूचनायें जो गोपनीय होंगी;

(पैंतीस) धारा 25 भूतलक्षी प्रभाव से विज्ञप्तियां जारी करने का अधिकार;

(छत्तीस) धारा 28 जॉच चौकियां और नाका की स्थापना;

(सेंतीस) घारा 28-क घोषणा-पत्र द्वारा राज्य के बाहर से माल आयात करना;

(अड़तीस) धारा 28-ख राज्य से होकर सड़क से माल के प्रेषण और माल के पारगमन के लिए प्राधिकार का जारी किया जाना:

(उन्तालीस) धारा 29 धनराशि की वापसी;

(चालीस) घारा 29-क किसी व्यापारी द्वारा भूल से कर के रूप में वसूल की गयी धनराशि के वितरण की प्रक्रिया;

(इकतालीस) धारा 30 कर निर्धारण के किसी आदेश या अपील में किसी आदेश को रदद करने की शक्ति;

(वयालीस) धारा ३२ कतिएय मामलों में शल्क

(तैतालीस) धारा 34 राजस्व को क्रपटवंचित करने के लिए किये गये अन्तरण का शून्य होना;

(चवालीस) धारा 35 विवाद ग्रस्त प्रश्नों का अवधारण:

(पैतालीस) धारा 36 किश्त मंजूर करने का अधिकार;

(छियालीस) धारा 38 रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के लिये सुविधा;

उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 के प्रावधानों के अन्तर्गत खरीद या बिक्री का व्यापारावर्त, या दोनों, जैसी भी स्थिति हो, के संदर्भ इस अधिनियम के अधीन अनुसूचित माल के मूल के संदर्भ समझे जायेंगे।

14-(1) इस अधिनियम के अधीन अधिरोपण का आगम कोष में विनियोजित किया जायेगा एवं यह आगम उत्तर प्रदेश में व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग के विकास हेतु अनन्न रूप से प्रयुक्त होगा, जिसमें निम्न सम्मिलित हैं:-

इस अधिनियम के अधीन अधिरोपण के आगम का उपयोग

- (क) बाजार एवं औद्योगिक क्षेत्रों को से जोड़े जाने हेत् सड़कों एवं पूलों का निर्माण, विकास एवं रख-रखाव;
- (ख) वित्तीय, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक इकाइयों को वित्त, सहायता, अनुदान तथा सहायिकी हेत् व्यवस्थाः
- (ग) उद्योग एवं विपणन तथा अन्य वाणिज्यिक काम्पलेक्सेज को बिजली एवं जल आपूर्ति के लिये अवस्थापना का सजन;
- (घ) सामान्य रूप से व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग के अग्रसरण हेत् अन्य अवस्थापना सुविधाओं का सृजन, विकास एवं रख-रखाव;
- (ङ) सम्बन्धित क्षेत्रों में प्रदूषण मुक्त वातावरण के सुजन, विकास एवं रख-रखाव के लिए वित्त, सहायता अनुदान तथा राजसहायता उपलब्ध कराना;
- (च) व्यापार वाणिज्य एवं उद्योग के विकास से जुड़े या उनकी सुविधा के लिए ऐसे अन्य कार्य, जिसे राज्य सरकार विज्ञप्ति द्वारा विनिर्दिष्ट करे;
- (छ) खण्ड (क),(ग),(घ),(ङ) और (च) में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए स्थानीय निकायों एवं सरकारी संस्थानों को वित्त, सहायता अनुदान तथा राजसहायता उपलब्ध कराना।
- (2) इस अधिनियम के अन्तर्गत उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत प्रवेश कर उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि में जमा किया जीयेगा और व्यापार, वाणिज्य, उद्योग की सुविधा के लिए अनन्य रूप से उपयोग में लाया जायेगा। प्रवेश कर के रूप में उदग्रहीत धनराशि उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग में नहीं लायी जायेगी।
- (3) राज्य सरका्र, अधिसूचना द्वारा, समुचित लेखा. शीर्षों में कर जमा करने की रीति एवं उद्ग्रहण की प्राप्तियों का एकमात्र उपयोग उत्तर प्रदेश राज्य में व्यापार एवं वाणिज्य के विकास हेत् रीति विहित करेगी।
- 15-(1) यदि इस अधिनियम के प्राविधानों को लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न कठिनाइयों को दूर होती है तो राज्य सरकार सरकारी गजट में प्रकाशित आदेश के द्वारा ऐसा प्राविधान, जो इस अधिनियम के प्राविधानों से असंगत न हो, बना सकती है जैसा कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों :

करने की शक्ति

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के अधिसूचित होने की तिथि से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात नहीं जारी किया जायेगा।

- (2) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश द्वारा किये गये किसी उपबन्ध का वही प्रभाव होगा मानो इस अधिनियम में अधिनियमित किया गया हो और ऐसा कोई आदेश किसी ऐसे भूतलक्षी दिनांक से किया जा सकेगा जो इस अधिनियम के लागू होने के पूर्व का न हो।
- (3) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा २३-३५ की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे किसी उत्तर प्रदेश कांधेनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा वनाये गये नियमों के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

नियम बनाने की शक्ति

विधिमान्यकरण

16-राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के कार्यान्वयन के लिए नियम बना

- 17-(1) किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी, सभी कृत कार्य, कृत कार्यवाही, बनाये गये नियम, जारी अधिसूचना या करने, होने, बनानं या जारी करने के लिए तात्पर्यित तथा उत्तर प्रदेश नाल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2000 के अधीन उद्ग्रहीत, निर्भारित, संग्रहीत, वसूला गया, प्राप्त या प्रोद्भूत दायित्व इस अधिनियम के अधीन विधिमान्यतः कृत, हुआ बनाया हुआ, जारी, उद्ग्रहीत, वसूला गया, प्राप्त या प्रोदर्भुत समझा जायेगा, मानो यदि यह अधिनियम सभी सारवान समय पर प्रवृत्त था और किसी न्यायालय या अधिकरण या प्राधिकारी के समक्ष प्रवेश कर की वापसी के लिए कोई बाद या अन्य कार्यवाहियाँ अनुरक्षित या जारी नहीं होगी।
- (2) शंकाओं के निराकरण के लिये एतदद्वारा उदघोषित किया जाता है कि अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा देय धनराशि से अधिक भुगतान किये गये प्रवेश कर की वापसी के दावे को उपधारा (1) के अन्तर्गत रोके जाने का अर्थ नहीं लगाया जायेगा यदि कर का भार संक्रान्त न किया गया हो।

उत्तर प्रदेश 18-(1) उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2000 (उत्तर प्रदेश ^{शक्षि}नियम संख्या 12 सन् 2000 का निरसन और

अधिनियम संख्या 12 सन् 2000) एतदृद्वारा निर्रासत क्रिया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अधिनियम के अधीन शक्तियों के प्रयोग के लिए कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन या इसके द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग हेत् कृत कार्य या कार्यवाही समुझी जायेगी।

19-(1) उत्तर प्रदेश रथानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अध्यादेश, 2007 एतदद्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ३५ सन् 2007 का निरसन और अपवाद

अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

अनुसूची -

- 1--केन्द्रीय विक्रय-कर अधिनियम, 1956 की धारा 14 में यथापरिभाषित कच्चा तेल
- 2-मशीन और मशीन के पूर्जे जिनकी कीमत दस लाख रुपये या उससे अधिक हो
- 3—प्राकृतिक गैस
- 4-बिना लेवी की चीनी
- 5-सिगरेट के रूप में तम्बाकू
- 6--सभी प्रकार के कागज
- 7-तम्बाक्युक्त पान मसाला (गुटका)
- 8-सीमेंट
- 9-कोयला
- 10--तेन्दू पत्ता
- 11-मोम
- 12-तैयार चमडा

13-भारत के बाहर से आयातित सभी प्रकार के और सभी वृक्षों, के चाहे वो किसी भी प्रजाति के हों, काष्ठ और इमारती लकड़ी, जिसके अन्तर्गत बल्लियों और बास भी, चाहे वह उगाई जा रही हो या काट दी गयी हो या चीरी गई हों।

14—हाई स्पीड डीजल, लो सल्फर हाई स्पीड डीजल, अल्ट्रा लो सल्फर हाई स्पीड डीजल, लाइट डीजल आयल, सुपर लाइट डीजल आयल, सुपीरियर कैरोसिन आयल, फर्नेस आयल, रैजिडुअल फ्यूअल आयल, लो सल्फर हैवी स्टाक्स, हैवी पेट्रोलियम स्टाक्स और इसके समस्त भेद, किन्तु उनमें जन वितरण प्रणाली का कैरोसिन आयल सम्मिलित नहीं है।

15--विलंकर

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2000 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2000) का अधिनियमन किसी स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, प्रयोग या विक्रय के लिए माल के प्रवेश पर कर का उद्ग्रहण और संग्रहण की व्यवस्था करने के लिए किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा रिट याचिका संख्या 251/2003 सर्वश्री विम्हयन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड बनाम राज्य सरकार में दिनांक 27 जनवरी, 2004 को दिये गये अपने निर्णय में उक्त अधिनियम को अधिकारातीत घोषित कर दिया गया। उक्त निर्णय के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 2757-2758/2004 दायर कर दी गयी। उक्त विशेष अनुज्ञा याचिका में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 9 फरवरी, 2004 को उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के प्रवर्तन पर इस शर्त के साथ रोक लगा दी कि प्रवेश कर के रूप में वसूल की गई धनराशि पृथक ब्यांज वाले लेखा में जमा की जायेगी। तत्पश्चात जिन्दल स्टील लिमिटेड बनाम राज्य सरकार व अन्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय से इस आशय की अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गयी कि क्या अधिनियम के अधीन प्रवेश कर प्रतिकरात्मक कर की श्रेणी में आता है अथवा नहीं। उच्च न्यायालय ने दिनांक 8 जनवरी, 2007 के अपने निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया कि उक्त अधिनियम के अधीन प्रवेश कर प्रतिकरात्मक कर की श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आता है। ऐसा ही निर्णय उच्च न्यायालय द्वारा इण्डियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड व अन्य तत्समान मामले में दिया गया। उच्च न्यायालय के दिनांक 8 जनवरी, 2007 के निर्णय के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में एक विशेष अनुज्ञा याचिका दायर की गयी। चूंकि सर्वश्री इण्डियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड शीर्ष न्यायालय के दिनांक 17 अप्रैल, 2007 के अन्तरिम आदेश के आधार पर 3022.58 करोड़ रुपये की वापसी की मांग कर रहा था, अतएव सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीट के निर्णय के उपरान्त राज्य सरकार उक्त अधिनियम को नये सिरे से भूतलक्षी प्रभाव के साथ अधिनियमित करने के लिए विचार कर रही थी। इसी बीच पटना उच्च न्यायालय द्वारा बिहार प्रवेश कर अधिनियम को वैध मान लिया गया। अतएव, यह विनिश्चय किया गया कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्णय में इंगित किमयों को दूर करते हुए तथा सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा प्रतिकरात्मक कर के संबंध में किये गये संप्रेक्षण के आलोक में और बिहार प्रवेश कर अधिनियम, जिसे पटना उच्च न्यायालय द्वारा वैध माना गया है, के उपबन्धों के आधार पर भूतलक्षी प्रभाव से एक विधि बनाई जाय।

चूँिक राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्रवाई करनी आवश्यक थी, अतएव, दिनांक 24 सितम्वर, 2007 को राज्यपाल द्वारा उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 35 सन् 2007) प्रख्यापित किया गया।

यह विधयेक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से, सै0 मजहर अब्बास आब्दी. प्रमुख सचिव।

No. 2337/79-V-1-1(ka)50-2007 Dated Lucknow, November 19, 2007

NOTIFICATION

Miscellaneous

IN pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Sthaniya Kshetra Men Mal Ke Prevesh Par Kar Adhiniyam, 2007 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 30 of 2007) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on November 16, 2007:—

THE UTTAR PRADESH TAX ON ENTRY OF GOODS INTO LOCAL AREAS

ACT, 2007

[U.P. ACT No. 30 of 2007]

(As passed the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

to provide for levy and collection of tax on entry of goods into a local area for consumption, use or sale therein and for matters connected therewith or incidental thereto.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-eighth Year of the Republic of India as follows:-

CHAPTER-I

PRELIMINARY

Short title extent and commencement

- 1.(1) This Act may be called the Uttar Pradesh Tax on Entry of Goods into Local Areas Act, 2007.
 - (2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.
- (3) It shall be deemed to have come into force with effect from November 1, 1999.

Definitions

- 2. (1) In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context :-
- (a) "Business" includes,-
- (i) any trade, commerce or manufacture or any adventure or concern in the nature of trade, commerce or manufacture, whether or not such trade, commerce, manufacture, adventure or concern is carried on with a motive to make profit and whether or not any profit accrues from such trade, commerce, manufacture, adventure or concern;
- (ii) the execution of any works contract or the transfer of the right to use any goods for any purpose (whether or not for a specified period); and
- (iii) any transaction in connection with or incidental or ancillary to or resulting from such trade, commerce, manufacture, adventure or concern or works contract or lease,
- (b) "dealer" means any person, who in the course of business whether on his own account or on account of a principal or any other person, brings or causes to be brought into a local area any goods or takes delivery or is entitled to take delivery of goods on its entry into a local and includes,—
- (i) a local authority, body corporate, company, any co-operative society or other society, club, firm, Hindu undivided family or other association of persons which carries on such business;
- (ii) factor, broker, arhati, commission agent, del credere agent or any other mercantile agent, by whatever name called and whether of the same description as hereinbefore mentioned or not, who carries on the business of buying, selling, supplying or distributing goods belonging to any principal, whether disclosed or not;
- (iii) an auctioner who carries on the business of selling or auctioning goods belonging to any principal, whether disclosed or not, and whether the offer of the intending purchaser is accepted by him or by the principal or nominee of the principal;

- (iv) a Government which, whether in the course of business or otherwise, buys, sells, supplies or distributes goods, directly or otherwise for cash or for deferred payment or for commission, remuneration or other valuable consideration;
- (v) every person who acts within the State as an agent of a dealer residing outside the State and buys, sells, supplies or distributes goods in the State or acts on behalf of such dealer as,—
 - (a) a mercantile agent as defined in the Sale of Goods Act, 1930; or
 - (b) an agent for handling of goods or documents of title relating to goods; or
- (c) an agent for the collection or the payment of the sale price of goods or as a guarantor for such collection or such payment.
- (vi) a firm or a company or other body corporate, the principal office or headquarters whereof is outside the State, having a branch or office in the State, in respect of purchases or sales, supplies or distribution of goods through such branch or office;
- (vii) every person who carries on the business of transfer of property in goods (whether as goods or in some other form) involved in the execution of a works contract;
- (viii) every person who carries on business of transfer of the right to use any goods for any purpose (whether or not for a specified period) for cash, deferred payment or other valuable consideration;
- (ix) any person who, in the course of occasional transactions of business nature, whether on his own account or on account of a principal, or any other person brings or causes to be brought into a local area any goods or takes delivery or is entitled to take delivery of goods on its entry into local area.

Explanation: - For the purposes of this Act the expression "in the course or business" shall include in the course of establishment or commencement of business.

- (c) "Entry of goods", with all its grammatical variations and cognate expressions, means, entry of goods;
 - (i) into a local area from any place outside such area;
 - (ii) into a local area from any place outside the State;
- (iii) into a local area from any place outside the Territory of India, for consumption, use or sale therein;
 - (d) "local area" means the territorial area of,-
- (i) a Municipal Corporation under the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959:
 - (ii) a Municipality under the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916;
- (iii) a Zila Panchayat or a Kshettra Panchayat Under the Uttar Pradesh Kshettra Panchayats and Zila Panchayats Adhiniyam, 1961;
 - (iv) a Gram Panchayat under the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947;
 - (v) a Cantonment under the Cantonments Act, 1924;
- (vi) any Industrial Development Area under the Uttar Pradesh Industrial Area Development Act, 1976;
 - (vii) an Industrial Township by whatever name called;
- (viii) any other local authority by whatever name called under an Act of the Parliament or the State Legislature.
 - (e) "Schedule" means a Schedule appended to this Act.
 - (f) "Scheduled Goods" means any goods mentioned in the Schedule to this Act;

(g) "Tax" means tax ieviable under this Act.

oxigional

(h) "Value of goods" means the value of any goods as ascertained from/original purchase invoice or bill an includes value of packing material, packing and forward charges, insurance charges, amounts representing excise duty, countervalling duty, custom duty and other like duties, amount of any fee or tax charged, transport charges, freight charges and any other charges relating to purchase and transportation of such goods in the local area in which goods are being brought or received for consumption, use or such therein:

Provided that where any goods have been,-

- (i) purchased and the value thereof is not ascertainable on account of nor availability or non production of any document; or
- (ii) purchased and the value declared by the dealer or the person incharge is not verifiable on account of non-availability or non production of any document; or
- (iii) purchased and a document produced in support of purchase price or transport charges and other charges, is not worthy of credence; or
- (iv) acquired or obtained otherwise than by way or purchase, the 'value of goods' shall mean the value or the price at which the goods of the like kind or like quality is sold or is capable of being sold at wholesale price in the open market in the local area in which goods are being brought or received for consumption, use or sale.

Explanation:— For the purpose of ascertaining wholesale price of any goods under this clause the wholesale price shall include any amount paid or payable by the purchaser as excise duty or any other duty but shall not include any amount charged for anything done to the goods after entry of goods into the local area or any amount of fee or tax including tax under this Act payable in respect of sale of the goods of the like kind or like quality.

- (i) "fund" means the Uttar Pradesh Trade Development fund.
- (2) Words and expressions used in this Act, but not defined shall have the meanings assigned to them in the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948 or the rules framed thereunder.

Authorities under this Act

- 3. (1) For carrying out the purposes of this Act,-
- (a) the Commissioner of Trade Tax, Special Commissioner of Trade Tax, Additional Commissioner of Trade Tax and Joint Commissioner of Trade Tax, of the Trade Tax Department shall be the Commissioner, Special Commissioner, Additional Commissioner and Joint Commissioner respectively, and they will be designated as Commissioner of Entry Tax, Special Commissioner of Entry Tax, Additional Commissioner of Entry Tax and Joint Commissioner of Entry Tax respectively;
- (b) "appellate authority" and "Chairman and members of the Tribunal" appointed by the State Government under the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948 shall function as "appellate authority" and the "Chairman and members of Tribunal" respectively;
- (c) all Deputy Commissioners and the Assistant Commissioners posted in the Department of the Trade Tax shall be the Deputy Commissioners and Assistant Comissioners of Entry Tax and likewise all Trade Tax Officers posted in the Department of Trade Tax shall be the Entry Tax Officers;

- (d) any officer not below the rank of a Trade Tax Officer, posted in a Trade Tax Circle either by the State Government or the Commissioner Trade Tax, Officers authorised by the State Government or the Commissioner Trade Tax to exercise powers under sections 13 and 13-A of the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948 and Officers, not below the rank of Trade Tax Officer, posted at a Check-Post established under section 28 of the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948, shall exercise the powers of the assessing authority under this Act;
- (e) all officers or authorities under this Act except chairman and the members of the Tribunal shall work under the Administrative control of the Commissioner and the Commissioner shall be competent to exercise powers vested in any officer under his administrative control except appellate authority.
- (2) The territorial jurisdiction of authorities under this Act shall be the same as may be fixed or determined by the State Government or the commissioner of Trade Tax for the purpose of carrying out purposes of the Uttar Pradesh Trade Tax. Act, 1948.
- 4. (1) For the purpose of development of trade, commerce and industry in the State, there shall be levied and collected a tax on entry of goods specified in the Schedule into a local area for consumption, use or sale therein, from any place outside that local area, at such rate not exceeding five per cent of the value of the goods as may be specified by the State Government by notification and different rates may be specified in respect of different goods or different class of goods:

Provided that the State Government may by notification amend the Schedule and upon issue of any such notification, the Schedule shall, subject to the provisions of sub-section (10), be deemed to be amended accordingly.

- (2) The tax under sub-section (1) shall be continued to be levied till such time as is required to improve infra-structure within the State such as power, road, market condition etc. with a view to facilitate better market conditions for trade, commerce and industry.
- (3) The tax levied under sub-section (1) shall be payable by a dealer who brings or caused to be brought into the local area such goods, whether on his account or on the account of his principal or takes delivery or is entitled to take delivery of such goods on its entry into a local area:

Provided that the State Government may by notification, permit any Power Project Industrial Unit engaged in generation, transmission and distribution, having aggregate capital investment of rupees one thousand crore or more to own the liability of payment of tax of other dealers on the entry of such goods into a local area from any place out side that local area as are used and consumed by the said unit subject to such conditions as may be specified in the notification.

Explanation:—where the goods are taken delivery of on its entry into a local area or brought into a local area by a person other than a dealer, the dealer who takes delivery of the goods from such person shall be deemed to have brought or caused to have brought the goods into the local area.

(4) The State Government may by notification remit the amount of tax to the extent necessary to ensure that effective rates of tax on entry of goods into a local area, from any place out side the local area for consumption or use in a Power Project Industrial Unit, do not exceed the respective rates applicable as on the date of commencement of State Energy Policy subject to the conditions as may be notified in such notifications.

Levy of tax

(5) No dealer who brings or causes to be brought any goods into a local apposituation of the liable to tax, if during the assessment year the aggregate value of such goods in less than two lakh rupees in the case of manufacturers and three lakh rupees in the case of manufacturers and three lakh rupees in the case of manufacturers and three lakh rupees in the other dealers or such larger amount as the State Government may by notificate specify in that behalf either in respect of all dealers in any goods or in respect of particular class of such dealers:

Provided that the provisions of this sub-section shall not apply in/respectable value of the goods brought into a local area from outside Uttar Pradesh;

(6) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) or sub-section (3), no tax shall be levied on and collected from a dealer who brings or causes who brought into a local area any goods which are sold by him within the local area for purpose of being taken out of that area and are actually taken out:

Provided that where at the time of entry of any goods into a local area, quantity or value of goods to be sold within such local area for the purpose of beataken outside the local area without consumption, use or sale in such local area is ascertainable, the dealer shall pay amount of tax on the value of total quantity of good and after the goods are sold within the local area for the purpose of being taken outside such local area and are actually taken out, the dealer may claim refund of the amount paid as tax in respect of such goods, in the manner provided in section 5 of this Act:

Provided further that the burden of proving the fact that any goods after ententing into a local area were sold for the purpose of being taken outside the local area for consumption, use or sale outside such area and were actually taken outside such local area shall lie on the dealer selling the goods.

(7) Where a single consignment of goods, partially meant for consumption use or sale within a local area and partially meant for transfer to any place outside such local area, is brought or received by a dealer into such local area and where value of the goods to be consumed, used or sold in the local area is not ascertainable, the dealer shall pay tax on the value of all goods of the consignment and shall, after any goods are transferred as aforesaid, may claim to the armount, paid as tax in respect of goods so transferred in the manner provided in scion 5 of this Act:

Provided that the burnden of proving the lact that any goods, after bringing or receiving into a local area, has been transferred outside such local area without consumption, use or sele therein shall ie on the dealer claiming refund.

- (8) Where tax, in respect of entry of any goods into a local area, is payable and has been so paid by the agent, the principal shall not be liable for payment of tax and likewise where tax, in respect of entry of any goods into a local area, is payable and has been so paid by the principal, the agent shall not be liable for payment of tax.
 - (9) where in respect of any-
 - (i) purchased scheduled goods,-
 - (a) value of such goods is not ascertainable or value of such goods, as declared by the dealer or the person incharge of the goods, as the case may be, is not verifiable on account of non-availability or non-production of any document; or
 - (b) any document produced in support of purchase price or transport charges and other charges, is not worthy of credence; or
- (ii) scheduled goods, acquired or obtained otherwise than by way of purchase, value of such goods, disclosed by the person in-charge of the goods or the dealer, as the case may be, does not appear to be reasonable and worthy of credence, then the whole-sale price, in the open market in a local area in which such goods are being brought, reasonably determined by the assessing authority, after affording reasonable opportunity of being heard to the person in-charge of the goods or the dealer, as the case may be, shall be deemed to be, the value of goods, and for this purpose in reference to clause (i), the assessing authority shall assume that goods has been acquired or obtained otherwise than by way of purchase.

- (10) Every notification made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before each House of the State Legislature, while it is in session, for a total period of not less than fourteen days, extending in its one session or more than one successive sessions and shall unless some later date is appointed take effect from the date of its publication in *Gazette* subject to such modifications or annulments as the two Houses of the Legislature may during the said period agree to make, so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder except that any imposition, assessment, levy or collection of tax or penalty shall be subject to the said modification or annulment.
- 5. (1) Where any dealer has brought or has caused to be brought or has taken delivery of any goods notified under sub-section (1) of section 4 on its entry into a local area, for consumption, use or sale therein and has paid tax in respect of entry of such goods into such local area, such levy of tax shall stand reversed and subject to provisions of sub-section (3), the amount, paid by the dealer as tax, shall be refunded to such dealers in the following circumstances:—

Reversal of levy of

- (a) Where purchased goods, without using them in such local area, are returned to the selling dealer within a period of six months from the date of purchase;
- (b) Where goods, without using them in such local area, are consigned to any place outside the State;
- (c) Where goods, without using them in the local area, are consigned to any place in any other local area for consumption, use or sale therein;
- (d) Where goods are re-sold either in the course of inter-State trade or commerce or in the course of the export of the goods out of the territory of India;
- (e) Where any scheduled goods are sold for being taken outside such local area and are actually taken out.

Explanation: Sections 3 and 5 of the Central Sales Tax Act, 1956, shall apply for the purpose of determining whether or not any goods has been sold by a dealer in the course of inter-State trade or commerce and whether or not any goods has been sold in the course of the export of the goods out of the territory of India.

- (2) Where a dealer has paid tax in respect of entry of any goods into any local area but goods are destroyed before entry into the local area, any amount paid as tax shall, subject to provisions of sub-section (3), be refunded to the dealer.
- (3) Any amount found refundable to a dealer in accordance with provisions of sub-section (1) or sub-section (2) shall first be adjusted towards any amount outstanding against the dealer and the balance amount, if any, shall be refunded to the dealer:

Provided that where goods, without use or sale in any local area, are consigned for delivery to self in any other local area for consumption, use or sale therein, the amount, found refundable, shall be adjusted towards the amount of tax payable in respect of entry of such goods in such other local area.

6. Where in respect of any scheduled goods notified under sub-section (1) of section 4, tax is payable in respect of a sale or purchase of such goods under the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948 by a dealer registered under the said Act, and liability for payment of tax has accrued before entry of such goods into any local area, the State Government may, by notification and subject to such conditions and restrictions, as may be specified therein, allow a rebate up to the full amount of tax leviable under this Act.

Rebate .

Exemption

7. Where the State Government is satisfied that it is expedient in the publinterest so to do, it may, by notification, exempt subject to such conditions are restrictions as may be specified in the notification, any goods or class of goods from levy of tax, or class of dealers from the payment of the Tax.

Registration

8. (1) Subject to the provisions of sub-section (2) every dealer liable to pay to shall apply to the assessing authority for grant of registration certificate in the prescribed manner along with proof of deposit of Registration fee within thirty days from the date on which he becomes liable to pay tax under this Act.

Provided that a dealer who holds a registration certificate granted under the provisions of the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948, if furnishes required information in the prescribed form of application within the aforesaid time, shall not be liable to obtain separate registration certificate under this Act and for all purposes of this Act such dealer shall be deemed to be a registered dealer:

Provided further that a Government shall not be required to obtain registration certificate under this Act if such Government Department is not engaged in regular business.

- (2) Where a dealer has not fixed place of business within the State of Uttar Pradesh, he shall not be liable for obtaining registration under this Act.
- (3) In respect of grant of registration certificate under this Act, provisions of sub-section (1-A), (1-B), (1-C), (1-D), 2, 3 and 4 of section 8-A of the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948 shall mutatis mutandis apply as they apply to grant of registration certificate under that Act.

Submission of returns and assessment of tax

9. (1) Every dealer liable to obtain registration under this Act, shall submit such returns of value of scheduled goods along with proof of deposit of amount of tax shown payable in the return to its assessing authority in such manner, for such tax periods and within such time as may be prescribed:

Provided that the assessing authority on the application of the dealer may, for sufficient reason allow the dealer to submit return beyond prescribed time.

(2) Every dealer liable to pay tax, other than a dealer referred in sub-section.
(2) of section 8, shall submit to the assessing authority for each assessment year, an annual return of self assessed tax in such manner and within such time as may be prescribed:

Provided that the assessing authority on the application of the dealer may, for sufficient reason, extend the time for submitting the return up to a period of ninety days.

(3) Where-

- (a) a dealer has submitted returns for all tax periods referred in sub-section (1) and the annual return of self assessed tax referred to in sub-section (2);
- (b) prima facie there is no reason to believe that the dealer has suppressed value of any scheduled goods or has otherwise evaded payment of tax; and
- (c) the dealer has neither claimed refund of any amount deposited as tax or has, in respect of any scheduled goods, not claimed reversal of amount of tax under section 5,

the assessing authority shall, without requiring appearance of the dealer, accept the return of self assessed tax:

Provided that where the assessing authority is of the view that-

(i) tax shown payable in the return has not been computed at the applicable rate of tax; or

- (ii) there is mathematical error in computation of tax; or
- (iii) any exemption or concession has been claimed on the basis of any certificate or any prescribed certificate or declaration but such form of declaration or certificate has not been submitted,

he shall issue notice to the dealer for submitting revised annual return of self assessment within fifteen days from the date of service of the notice and if the assessing authority is satisfied with the revised return of self assessment, he shall accept the revised return of self assessment:

(4) In case of a dealer other than the dealer in whose case self assessment of tax is to be accepted by the assessing authority under sub-section (3), the assessing authority shall, after making such enquiry as it may deem fit and after affording reasonable opportunity of being heard to the dealer, determine the value of the scheduled good brought or received by the dealer into any local area for consumption, use or sale therein and the amount of tax payable by the dealer:

Provided that nothing shall prevent the assessing authority from determining such value of scheduled goods and the amount of tax payable by the dealer acco. Ing to its best judgement assessment where—

- (a) the dealer has not maintained account books in respect of schedule goods; or
- (b) the dealer has not produced accounts and documents maintained by him in respect of scheduled goods; or
- (c) accounts and documents produced by the dealer are not found worthy of credence by the assessing authority; or
- (d) value of scheduled goods brought or received in any local area is not verifiable from the accounts and documents produced by the dealer.
- 10. (1) Where a dealer to whom sub-section (1) of section 9 applies fails to submit return of value of the scheduled goods and tax payable on entry of such goods into a local area within the time prescribed or allowed under that section or does not furnish proof of deposit of tax shown payable in such return, or the return submitted is, in the opinion of assessing authority, incorrect or incomplete or contains wrong particulars, the assessing authority may, without prejudice to the provisions of section 9 but after giving reasonable opportunity of being heard to the dealer, make provisional of value of scheduled goods and the tax payable thereon.
- (2) Where the assessing authority has made a provisional assessment under sub-section (1), it shall not, by reason of such assessment, be precluded from redetermining the value of the scheduled goods and making the assessment of tax for the whole year.
- 11. (1) Where in respect of any scheduled goods, a dealer is liable for payment of tax under this Act but does not fall within the definition of a dealer as defined under clause (c) of section 2 of the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948, he may, subject to other provisions of this section, opt for payment of tax in respect of such scheduled goods on the estimated value of the goods before bringing or receiving or before taking delivery of such goods into a local area.
- (2) Every dealer having no fixed place of business within the State of Uttar Pradesh shall, subject to other provisions of this section, make payment of tax in respect of scheduled goods on the estimated value of the scheduled goods before bringing or receiving or before taking delivery of such goods into a local area.

Provisional assessment of tax

Composition of

- (3) Every person or dealer, who does not fall under sub-section (1) of sub section (2) and who is liable for payment of tax under this Act, may opt for payment of tax in respect of such scheduled goods on the estimated value of the goods before bringing or receiving or before taking delivery of such goods into a local area.
- (4) Once a dealer, or a person as the case may be, referred to in sub-section (1), (2) and (3), opts for payment of tax under this section for any assessment year, he shall not be entitled to change his option for payment of tax in any other manner for any period of that assessment year.
- (5) Any dealer, who makes payment of tax under provisions of this section, shall not be liable for submission of returns referred to in section 9.
- (6) Where payment of tax in respect of any goods has been made under this section, no assessment of tax under section 9 shall be made in respect of such goods.
- (7) Provisions of sub-section (9) of section 4 shall apply to all goods in respect of entry of which into a local area, payment of tax is to be made under this section.

Realization of tax through manufacturer

- 12. (1) Notwithstanding anything contained in any other provisions of this Act, any person who intends to bring into a local area from any manufacturer within the State, such goods specified in the Schedule as may be notified by the State Government, shall, at the time of taking delivery of the goods from the manufacturer, pay to the manufacturer the tax payable on entry of such goods into the local area and the manufacturer shall receive the tax so paid. The manufacturer shall not give such goods to the purchaser unless the amount of such tax has been paid by the purchaser.
- (2) The manufacturer receiving the x under sub-section (1) shall submit to the assessing authority a return in respect of the goods supplied, and the tax received, by him under sub-section (1) and deposit the tax so received, in such manner and within such time as may be prescribed.
- (3) Where any manufacturer fails to deposit, the tax under this section he shall be liable to pay the tax along with the interest and penalty, if any, payable thereon which shall be recoverable as arrears of land revenue.
- (4) Where the assessing authority is satisfied that any goods referred to in sub-section (1) is lost or destroyed after its delivery by the manufacturer and before its entry into the local area, it shall direct that the tax paid in respect of such goods shall be refunded to the person who had paid the tax under sub-section (1):

Provided that no claim for such refund shall be entertained after the expiry of six months from the date of the loss or destruction of the goods.

- (5) Provisions regarding imposition of penalty in respect of amount of tax deducted under section 8-D of the Uttar Pradesh TradeTax Act, 1948 and provision regarding payablity of interest under sub-section (1) of section 8 of the said Act shall mutatis mutandis apply to amounts collected by manufacturers from purchasers under this section.
- Applicability of certain provisions of the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948
- 13. The following provisions of the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948 shall mutatis mutandis apply to all dealers and proceedings under this Act:-
 - (i) Section 3-C Liability of Tax of dissolved firm etc.,
 - (ii) Section 4-C Special relief to manufacturers exporting finished goods outside India;

- (iii) Section 6 Objections to jurisdiction;
- (iv) Section 7-B Assessment of tax where rate is varied during the assessment year;
- (v) Section 7-C Tax due from deceased person payable by his representatives;
 - (vi) Section 7-E Rounding off, of turnover, tax etc;
 - (vii) Section 7-F Recovery or refund of petty amounts to be ignored;
 - (viii) Section 8 Payment and recovery of tax;
 - (ix) Section 8-B Provisional registration in certain cases;
- (x) Section 8-BB Information to be furnished regarding change of business;
 - (xi) Section 8-C Security in the interest of revenue;
 - (xii) Section 9 Appeal;
 - (xiii) Section 10 Tribunal;
 - (xiv) Section 10-A Order against which no appeal or revision shall lie;
 - (xv) Section 10-B Revision by the Commissioner;
 - (xvi) Section 11 Revision by the High Court in special cases;
 - (xvii) Section 12 Accounts to be maintained by dealers;
 - (xviii) Section 12-A Burden of Proof;
 - (xix) Section 12-B Additional evidence on appeal;
- (xx) Section 13 Power to order production of accounts and powers of entry and inspection;
 - (xxi) Section 13-A Power to seize;
 - (xxii) Section 13-B Power to seek assistance from police etc;
 - (xxiii) Section 14 Offences and penalties;
 - (xxiv) Section 14-A Offence by companies;
 - (xxv) Section 15 Composition of offence;
 - (xxvi) Section 15-A Penalties in certain cases;
 - (xxvii) Section 16 Indemnity;
 - (xxviii) Section 17 Bar to certain proceedings;
- (xxix) Section 18 Assessment of reconstituted or new firms, and change of partnership;
 - (xxx) Section 19 Assessment of minors and incapacitated persons;
 - (xxxi) Section 20 Assessment of court of wards etc.;
- (xxxii) Section 21 Assessment of tax on the turnover not assessed during the year;
 - (xxxiii) Section 22 Rectification of mistakes;
 - (xxxiv) Section 23 Certain information to be confidential;
 - (xxxv) Section 25 Power to issue notification with retrospective effect;
 - (xxxvi) Section 28 Establishment of check posts and barriers;
- (xxxvii) Section 28-A Import of goods into the State against declaration;
- (xxxviii) Section 28-B Transit of goods by road through the State and issue of authorisation for transit of goods;

(xxxix) Section 29 Refund;

- (XL) Section 29-A Procedure for disbursement of amount wrong, realised by dealer as tax;
- (XLI) Section 30 Power to set aside an order of assessment or an order i appeal.
 - (XLII) Section 32 Fees in certain cases;
 - (XLIII) Section 34 Transfer to defraud revenue void;
 - (XLIV) Section 35 Determination of disputed question;
 - (XLV) Section 36 Power to grant instalment;
 - (XLVI) Section 38 Facility for sick industrial units.

Any reference to turnover of purchase or of sale or of both, as the case may be under the provisions of the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948 shall be deemed reference to value of the scheduled goods under this Act.

Utilization of the proceeds of the levy under this Ordinance

- 14. (1) The proceeds of the levy under this Act shall be appropriated to the Fund and shall be utilized exclusively for the development or facilitating the trade, commerce and industry in the State of Uttar Pradesh which shall include the following:—
 - (a) construction, development and maintenance of roads and bridges for linking the market and industrial areas;
 - (b) providing finance, aids, grants and subsidies to financial industrial and commercial units;
 - (c) creating infrastructure for supply of electricity and water to industries, marketing and other commercial complexes;
 - (d) creation, development and maintenance of other infrastructure for the furtherance of trade, commerce and industry in general;
 - (e) providing finance, aids, grants and subsidies for creating, developing and maintaining pollution free environment in the concerned areas;
 - (f) any other purpose connected with the development of trade, commerce and industry or for facilities relating there to which the State Government may specify by notification;
 - (g) providing finance, aids, grants and subsidies to local bodies and Government agencies for the purposes specified in clauses (a), (c), (d), (e) and (f):
- (2) The entry tax levied and collected under this Act shall be credited to the Uttar Pradesh Trade Development Fund and shall exclusively be used for facilitating trade, commerce and industry. The amount realised as entry tax shall not be used for the purposes other than those specified in sub-section (1).
- (3) The State Government shall, by notification, specify the manner of deposit of tax under appropriate Heads of Acconts and the manner in which the proceeds of the levy shall be utilized exclusively for the development of trade and commerce in the State of Uttar Pradesh.

Power to remove difficulties 15. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order published in the official *Gazette*, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act as appear to it to be necessary or expendient for removing the difficulty:

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the date this Act is notified.

(2) The provisions made by any order under sub-section (1) shall have effect as if enacted in this Act and any such order may be made so as to be retrospective to any date not earlier than the date of commencement of this Act.

- (3) Every order made under sub-section (1) shall, as soon as may be after it is made, be laid before both the Houses of the State Legislature and the provisions of sub-section (1) of section 23-A of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 shall apply as they apply in respect of rules made by the State Government under any Uttar Pradesh Act.
- 16. The State Government may make rules for carrying out the purposes of this Act.

Power to make

Validation

- 17. Notwithstanding any judgement, decree or order of any Court, Tribunal or Authority, all actions taken, things done, rules made, notifications issued or purported to have been taken, done, made or issued and entry tax levied, assessed, collected, realised, received or liability accrued under the Uttar Pradesh Tax on Entry of Goods Act, 2000 shall be deemed to have been validly taken, done, made, issued, levied, assessed, collected, realised, received or accrued under this Act, as if this Act were in force at all meterial times and no suit or other proceedings shall be maintained or continued in any Court or before Tribunal or any Authority for the refund of entry tax.
- (2) For the removal of doubts it is hereby declared that nothing in sub-section (1) shall be construed as preventing any person from claiming refund of entry tax paid by him in excess of the amount due from him under the Act provided the burden of tax has not been passed on.
- 18. (1) The Uttar Pradesh Tax on Entry of Goods Act, 2000 is hereby repealed.

Repeal and saving of U.P. Act no. 12 of 2000

- (2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken in exercise of the powers under the said Act, shall be deemed to have been done or taken in the exercise of the powers conferred by or under this Act as if this Ordinance were in force at all material times.
 - 19. (1) The Uttar Pradesh Tax on Entry of Goods into Local Area Ordinance, 2007 is hereby repealed.

Repeal and saving of U.P. Ordinance no. 35 of 2007

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

The Schedule

- 1. Crude oil as defined in section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956.
- 2. Machinery and spare parts of machinery valuing Rupees ten lakhs or more.
- 3. Natural Gas.
- 4. Non levy sugar.
- 5. Tabacco in the form of cigarette.
- 6. All kinds of paper.
- 7. Pan masala cotaining tobacco (gutka).
- 8. Cement.
- 9. Coal.
- 10. Tendu Leaves.
- 11. Wax.
- 12. Finished Leather.
- 13. Wood and timber of all kinds and of all trees, of whatever species including ballies and bamboos, whether growing or cut or sawn imported from outside India.

14. High speed diesel, low sulphur high speed diesel, ultra low sulphur high speed diesel, light diesel oil, super light diesel oil, superior kerosene oil, furnace oil, residual fuel oil, low sulphur heavy stocks, heavy petroleum stocks and all its variant but excluding kerosene oil of public distribution system.

15. Clinker.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Tax on Entry of Goods Act, 2000 (U.P. Act no. 12 of 2000) was enacted to provide for the levy and collection of tax on entry of goods into a local area for consumption, use or sale therein. The said Act was declared ultra viren by the Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad in writ petition no. 251/2003 M/s Indian Cri Corporation Limited Versus State Government in its Judgement dated January 27, 2004, the State Government filed the special leave petition no. 2757-2758/2004 against the said Judgement the Hon'ble Supreme Court in the said special leave petition stayed the operation of the said Judgement of the High Court on February 9, 2004 with the condition that the amount realised as entry tax shall be deposited in the separate interest hearing account there after in the case of Jindal Steel Limited Versus State Government and others the Hon'ble Supreme Court required the High Court to submit its report regarding whether the entry tax under the said Act falls in the category of compensatory tax or not. The High Court in its Judgement dated January 8, 2007 held that the entry tax under the said Act does not fall in the category of compensatory tax. The same Judgement had been delivered by the High Court in the case of the Indian Oil Corporation Limited and other similar cases. A special leave petition was filed in the Supreme Court by the State Government against the Judgement of the High Court dated January 8, 2007. Since M/s Indian Oil Corporation Limited was demanding for the refund of Rs. 3022-58 crore on the basis of the interim order dated April 17, 2007 of the Apex Court, the State Government was considering to enact afresh the said Act retrospectively after the Judgement of the constitution Bench of the Supreme Court. In the mean time the Bihar Entry Tax Act was held to be valid by the Patna High Court. It was therefore decided to make a law with retrospective effect by removing the short commings pointed out in the Judgement of the High Court of Judicature at Allahabad and in the light of observations with respect to the compensatory tax made by the constitutional Bench of the Supreme Court and on "basis of the provisions of the Bihar Entry Tax As. Which had been held valid by the Patna High Court.

Since the State Legislature was not in session and immidiate legislative action was necessary to implement the aforesaid decession the Uttar Pradesh Tax on Entry of Goods in to Local Areas Ordinance, 2007 (U.P. Ordinance no. 35 of 2007) was promulgated by the Governor on September 24, 2007.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order, S.M.A. ABIDI, Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० ६९६ राजपत्र—(हिन्दी)—2007—(1703)—597 प्रतियां—(कम्प्यूटर/आफसेट)। पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 353 सा० विद्यायी—2007—(1704)—650 प्रतियां—(कम्प्यूटर/आफसेट)।